राजस्थान सरकार
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

प्रदेश में बिखरी पुरा–सम्पदा की सुरक्षार्थ तथा सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार में आम नागरिकों को लाभ मिल सकें। इस उद्देश्य से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, नागरिक अधिकार पत्र का प्रकाशन कर रहा है।

निदेशक

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

राजस्थान सरकार
पुरातत्व एवं संग्रहाल विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की योजनाऐं

1. स्मारकों की मरम्मत, संरक्षण, सर्वेक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास, पर्यटक सुविधाएँ।
2. पुरावशेषों का सर्वेक्षण/अध्ययन।
3. संग्रहालयों का पुनर्गठन एवं विकास/पुरावस्तुओं की अवाप्ति एवं पुरावस्तुओं का प्रलेखन (Documentation of Artefacts)
4. पब्लिकेशन, कम्प्यूनिकेशन एण्ड मास–मीडिया।
5. शैक्षणिक प्रचार–प्रसार के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी/ सेमीनार का आयोजन करना।

➢ **पुरातत्व से सम्बन्धित गतिविधियॉ**

(a) खोज एवं उत्खनन

(b) कला सर्वेक्षण

(c) स्थापत्य सर्वेक्षण

(d) तकनीकी

(e) मुद्रा शास्त्र

(f) स्मारकों का संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण

➢ **संग्रहालय पुनर्गठन एवं विकास कार्य :–**

(a) नवीन संग्रहालयों की स्थापना

(b) स्थापित संग्रहालयों का विकास

(c) कला दीर्घाओं की स्थापना

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

राजस्थान सरकार
पुरातत्व एवं संग्रहाल विभाग

विभागीय प्रशासन एवं भौगोलिक स्थिति

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रभावी संचालन एवं नियन्त्रण का कार्य विभागाध्यक्ष निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान करते हैं, जिनका मुख्यालय रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल, जयपुर में है।

निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर के दूरभाष नम्बर निम्नप्रकार है :–

	कार्यालय	आवास
निदेशक	5190400 2565124	2722558

➢ विभाग का प्रशासनिक स्वरूप

विभाग के संचालन एवं नियन्त्रण कार्य में निदेशक के सहयोग हेतु निदेशालय स्तर पर निम्नांकित पद सृजित हैं :–

1. उप निदेशक
2. अधिशाषी अभियन्ता
3. अधीक्षक कला सर्वेक्षण
4. अधीक्षक तकनीकी
5. अधीक्षक स्थापत्य सर्वेक्षण
6. अधीक्षक उत्खनन
7. मुख्य पुरारसायनवेत्ता
8. मुद्रा विशेषज्ञ
9. सहायक अभियन्ता
10. खोज एवं उत्खनन अधिकारी
11. लेखाधिकारी
12. सहायक लेखाधिकारी

क्षेत्रीय स्तर पर नियन्त्रण हेतु 7 वृत्त अधीक्षक कार्यालय स्थापित है एवं जिला स्तर पर नियंत्रण हेतु 15 संग्रहाध्यक्ष एवं 6 परिरक्षक के कार्यालय स्थापित है। इनके अतिरिक्त जयपुर में तीन अधीक्षक कार्यालय–अधीक्षक, आमेर महल, अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय एवं अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

प्रदेश में विभाग के अधीन 322 संरक्षित स्मारक, 47 पुरास्थल, 18 संग्रहालय एवं 1 कला दीर्घा है तथा 4 नये संग्रहालयों की स्थापना प्रक्रियान्तर्गत है।

➢ विभागीय कार्य पद्धति :–

- यह विभाग तकनीकी हैं, जिसकी कार्य पद्धति निर्धारित हैं। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से मार्ग दर्शन लिया जाता रहा हैं और भविष्य में लिया जाता रहेगा, जो राष्ट्र में इस क्षेत्र की सर्वोच्च तकनीकी संस्थाएं हैं।

- यह विभाग पुरातत्व एवं संग्रहालय संबंधी गतिविधियों को सुचारू रूप से पूरा करता हैं, अभी राजस्थान में 18 राजकीय संग्रहालय एवं 1 कला दीर्घा संधारित हैं। (संलग्न परिशिष्ठ 'क') जिनमें प्राचीन पाषाण एवं धातु प्रतिमाऐं, शिलालेख, सिक्के, लघुचित्र, हस्तलिखित ग्रन्थ, शाही पोषाकें, उत्खनित सामग्री, अस्त्र–शस्त्र तथा राजस्थान के भांति–भांति के कलात्मक हस्त शिल्पों को संग्रहीत व प्रदर्शित किया गया है। इस सांस्कृतिक धरोहर की विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा सार संभाल की जाती है व उस पर शोध कार्य भी किया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्त्विक ऐतिहासिक एवं कलात्मक दृष्टि से स्मारकों का सर्वेक्षण कर महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षित घोषित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार इनका संरक्षण तथा जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाता है। सर्वेक्षण अधीक्षकों द्वारा राजस्थान की पुरानी सभ्यता व संस्कृति के अवशेषों, स्मारकों और पुरानी वस्तुओं की खोज की जाती है। पुरारसायन शाखा के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पुरावशेषों और कलात्मक वस्तुओं भित्ति चित्रों, स्मारकों आदि का रसायनिक उपचार व संरक्षण का कार्य किया जाता है।

- पुरातत्व एवं संग्रहालयों से संबंधित कार्यों का सम्पादन विभागीय निदेशक के निर्देशानुसार उप–निदेशक, वृत्त अधीक्षकों, सर्वेक्षण अधीक्षकों, तकनीकी अधिकारियों, संग्रहाध्यक्षों एवं परिरक्षकों के द्वारा किया जाता है। उसके वित्तीय प्रशासनिक व तकनीकी कार्यों की सीमाएँ राजस्थान वित्तीय, एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम तथा राजस्थान पुरातत्व सेवा (राजपत्रित एवं अधीनस्थ) नियम और समय–समय पर निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों द्वारा निर्धारित की जाती है।

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

- पुरातत्व एवं संग्रहालय संबंधित विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिये अभी राजस्थान को 7 मण्डलों में बांट रखा है, जिनके वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिविधियों के सम्पादन हेतु वृत्त अधीक्षक नियुक्त हैं और आवश्यकता पडने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (उप–निदेशक व निदेशक) से निर्देश प्रदान किये जाते है।
- विभाग के संग्रहाध्यक्ष, अधीक्षक, उप–निदेशक, निदेशक एवं सभी अधिकारी या उनके सहायक अधिकारी/कर्मचारी नागरिकों की शिकायतों का अपने स्तर पर समाधान करते है। प्रत्येक संग्रहालय में जन–साधारण की समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत पंजिका रखी हुई है।
- विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम तथा राज्य सरकार से अनुमोदित पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 एवं इसके तहत बने नियम 1968 के आधार पर दायित्वों का निष्पादन किया जाता है।
- विभाग के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार से निर्धारित नियमों एवं मानदण्डों के आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है।
- विभाग की नीतियों एवं उद्देश्यों को जन सामान्य में प्रचार–प्रसार करने हेतु तकनीकी शाखा के माध्यम से संग्रहालयों एवं स्मारकों के ब्रोशर तथा विभागीय पत्रिका ''पुरासम्पदा'' का प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मास–मीडिया के अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियों, विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पर्यटन, साहित्य, परिचयात्मक चिन्हों, प्रदर्शनियों, सेमीनारों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से स्मारकों/संग्रहालयों में संग्रहीत कला–पुरा सामग्री के महत्व का प्रचार–प्रसार किया जाता हैं।
- विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु छात्रों को स्मारकों/संग्रहालयों में प्रवेश टिकिट पर 50 प्रतिशत छूट के साथ प्रवेश दिया जाता है तथा उन्हें विभागीय अधिकारियों द्वारा निःशुल्क गाईडेन्स भी दी जाती है। स्मारकों पर फिल्मीकरण/फोटोग्राफी की व्यवस्था भी सःशुल्क उपलब्ध है।
- विभागीय सन्दर्भ पुस्तकालय में शोधार्थियों एवं इतिहासविज्ञों को संदर्भ प्रदान किया जाता है।

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

- विभाग से संबंधित सूचनाऐं विभागीय वेबसाईट www. museumsrajasthan. gov. in तथा सिक्कों के प्रलेखन संबंधित सूचना www. ancientcoins.rajasthan. gov. in पर उपलब्ध है।
- विभागाधीन संरक्षित स्मारकों में पथ प्रदर्शन हेतु ''गाईड लाईसेन्स एवं शर्ते 1995 संशोधित वर्ष 2010'' के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है।
- पथ प्रदर्शकों के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की ऐवज में विभाग द्वारा 1000/-रू. वार्षिक शुल्क लिया जाता है।

➢ स्मारकों एवं संग्रहालयों के देखने का समयः–

स्मारकों एवं संग्रहालयों के देखने का समयः–	साप्ताहिक अवकाश
संग्रहालयः प्रातः 9.45 से सायं 5.15 बजे तक	प्रत्येक सोमवार
स्मारकः प्रातः 9.00 से सायं 4.30 बजे तक	–
नाहरगढः प्रातः 10.00 से सायं 5.30 बजे तक	–

संग्रहालयों/स्मारकों में अन्य अवकाशों की सूची परिशिष्ठ (x) पर संलग्न है।

➢ <u>नागरिक अधिकार</u> :–

प्रदेश में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों में प्रदर्शित कला पुरावस्तुओं की सःशुल्क अवलोकनार्थ प्रदत्त सेवाएं उपलब्ध है।

(संग्रहालयों/समारकों में प्रवेश शुल्क/फिल्मीकरण शूल्क की सूची परिशिष्ठ 'V')

- प्रत्येक शुक्रवार को सभी संग्रहालयों में शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण कराया जाता है।

➢ <u>शिकायत एवं परिवाद</u> :–

- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की सेवाएं पर्यटकों की आशाओं व अपेक्षा के अनुरूप न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे दोषों के संबंध में अपनी शिकायत एवं सुझाव अधिकृत अधिकारियों तक लिखित रूप में पहुंचायें।
- पर्यटक अपनी शिकायत/सुझाव अधीक्षक/संग्रहाध्यक्ष को दे सकते है।
- शिकायत/सुझाव जिला स्तर पर संग्रहाध्यक्ष को की जा सकती है। संबंधित संग्रहाध्यक्ष अपने स्तर की समस्याओं का निराकरण 15 दिवस में करेंगें तथा

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

उच्च अधिकारियों से संबंधित प्रकरण को यथाशीघ्र संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर इसकी सूचना शिकायतकर्ता को देगें।

- पर्यटक अपनी शिकायत का समय पर समुचित निराकरण न होने पर इसके बारे में अधीक्षक/उपनिदेशक/निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचित कर सकते है।
- विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer) श्री जोधाराम बाबर, उप निदेशक निदेशालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर है, जिनका दूरभाष नं0 5190406 (O) मोबाईल 9414796097, 2701660 (R) है।

➢ **पर्यटक नागरिकों के कर्त्तव्य** :–

- विभागीय प्रबंधन की सीमाओं का ध्यान रखें।
- संग्रहालय/स्मारक परिसर को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।
- संग्रहालय/स्मारक में प्रदर्शित सामग्री को न छूएं।
- गुटका, पान व तम्बाकू आदि का पीक संग्रहालय/स्मारक परिसर में न थूकें।
- संग्रहालय/स्मारक में रखें कचरा पात्रों का उचित उपयोग करें।
- स्मारक/संग्रहालय की दीवारों को गंदा न करें, अनावश्यक स्लोगन्स नहीं लिखें।
- यदि कोई व्यक्ति किसी संरक्षित स्मारक को नष्ट करेगा, बिगाडेगा, हानि पहुंचायेगा, विकृत करेगा या परिवर्तित कर दुरूपयोग करेगा तो वह राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत तीन वर्ष की सजा या 1.00 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

- **संभागीय स्तर पर नियंत्रण हेतु 7 वृत्त अधीक्षक कार्यालय निम्नानुसार स्थापित हैं :–**

वृत्त अधीक्षकों के क्षेत्राधीन निम्नानुसार जिलें है :–

क्र.सं.	वृत्त	जिलें	विवरण
1.	जयपुर	जयपुर, सीकर, झुन्झनू, दौसा, अलवर	5 जिलें
2.	बीकानेर	बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानरग, हनुमानगढ़, जैसलमेर	5 जिलें
3.	जोधपुर	जोधपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली	5 जिलें
4.	कोटा	कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां, सं. माधोपुर	5 जिलें
5.	उदयपुर	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसंमन्द, प्रातपगढ़	6 जिलें
6.	भरतपुर	भरतपुर, करोली, धौलपुर	3 जिलें
7.	अजमेर	अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा	4 जिलें

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

परिशिष्ठ :–

1.	विभाग का प्रशासनिक स्वरूप	परिशिष्ठ (i)
2.	संग्रहालयों की सूची	परिशिष्ठ (ii)
3.	संरक्षित स्मारकों की सूची	परिशिष्ठ (iii)
4.	संरक्षित पुरास्थलों की सूची	परिशिष्ठ (iv)
5.	संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क की सूची	परिशिष्ठ (v)
6.	स्मारकों में प्रवेश शुल्क की सूची	परिशिष्ठ (vi)
7.	स्मारकों में फिल्मीकरण शुल्क की सूची	परिशिष्ठ (vii)
8.	विभागाधीन कार्यालयों के पते एवं दूरभाष नं0 की सूची	परिशिष्ठ (viii)
9.	राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची	परिशिष्ठ (ix)
10.	संग्रहालयों/स्मारकों में अवकाशों की सूची	परिशिष्ठ (x)
11.	विभागीय प्रशासनों की सूची	परिशिष्ठ (xi)

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

परिशिष्ट " ii "

राजकीय संग्रहालयों की सूची

1. राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर।
2. राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर।
3. राजकीय संग्रहालय, अजमेर।
4. राजकीय संग्रहालय, अलवर।
5. राजकीय संग्रहालय, भरतपुर।
6. श्री राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय, सीकर।
7. सरदार राजकीय संग्रहालय, जोधपुर।
8. राजकीय संग्रहालय, मण्डोर, जोधपुर
9. श्री बांगड राजकीय संग्रहालय पाली।
10. राजकीय संग्रहालय, माउन्ट आबू, सिरोही।
11. राजकीय संग्रहालय, उदयपुर।
12. राजकीय संग्रहालय, आहाड़, उदयपुर।
13. राजकीय संग्रहालय, चित्तौड़गढ़।
14. राजमाता देवेन्द्र कंवर राजकीय संग्रहालय, डूंगरपुर।
15. राजकीय संग्रहालय, कोटा।
16. राजकीय संग्रहालय, झालावाड
17. गंगा राजकीय संग्रहालय बीकानेर।
18. राजकीय संग्रहालय, जैसलमेर।

कला दीर्घा

19. राजकीय कला दीर्घा, विराटनगर, जयपुर।

प्रस्तावित संग्रहालय

1. केसरी सिंह बारहठ की हवेली, शाहपुरा, भीलवाडा।
2. टाउन हॉल संग्रहालय, जयपुर।
3. राजकीय संग्रहालय, बारां।
4. राजकीय कला दीर्घा, चन्द्रावती (सिरोही)

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

परिशिष्ठ ( )

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

विभागाधीन संग्रहालयों एवं स्मारकों को बन्द रखने के दिवस

<u>राजकीय संग्रहालय</u>

1. ईदुलफीतर
2. गणतन्त्र दिवस
3. ईदुलजुहा
4. होली
5. मोहर्रम
6. रक्षा बन्धन
7. स्वतन्त्रता दिवस
8. जन्माष्टमी
9. दशहरा
10. दीपावली
11. गोवर्धन पूजा
12. 2 स्थानीय अवकाश जिला कलक्टर के आदेशानुसार
13. प्रत्येक सोमवार का साप्ताहिक अवकाश

<u>संरक्षित स्मारक जिनमें प्रवेश शुल्क लागू हो</u>

1. होली (धूलण्डी)
2. राष्ट्रीय शोक के कारण घोषित अवकाश

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान निर्माण के पश्चात् वर्ष 1950 में पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग का गठ्न हुआ। विभागीय गतिविधियों को क्रियान्विति हेतु निदेशक के साथ सहयोग हेतु विभाग के अधिकारी निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

foHkkx dk iz'kklfud Lo:i

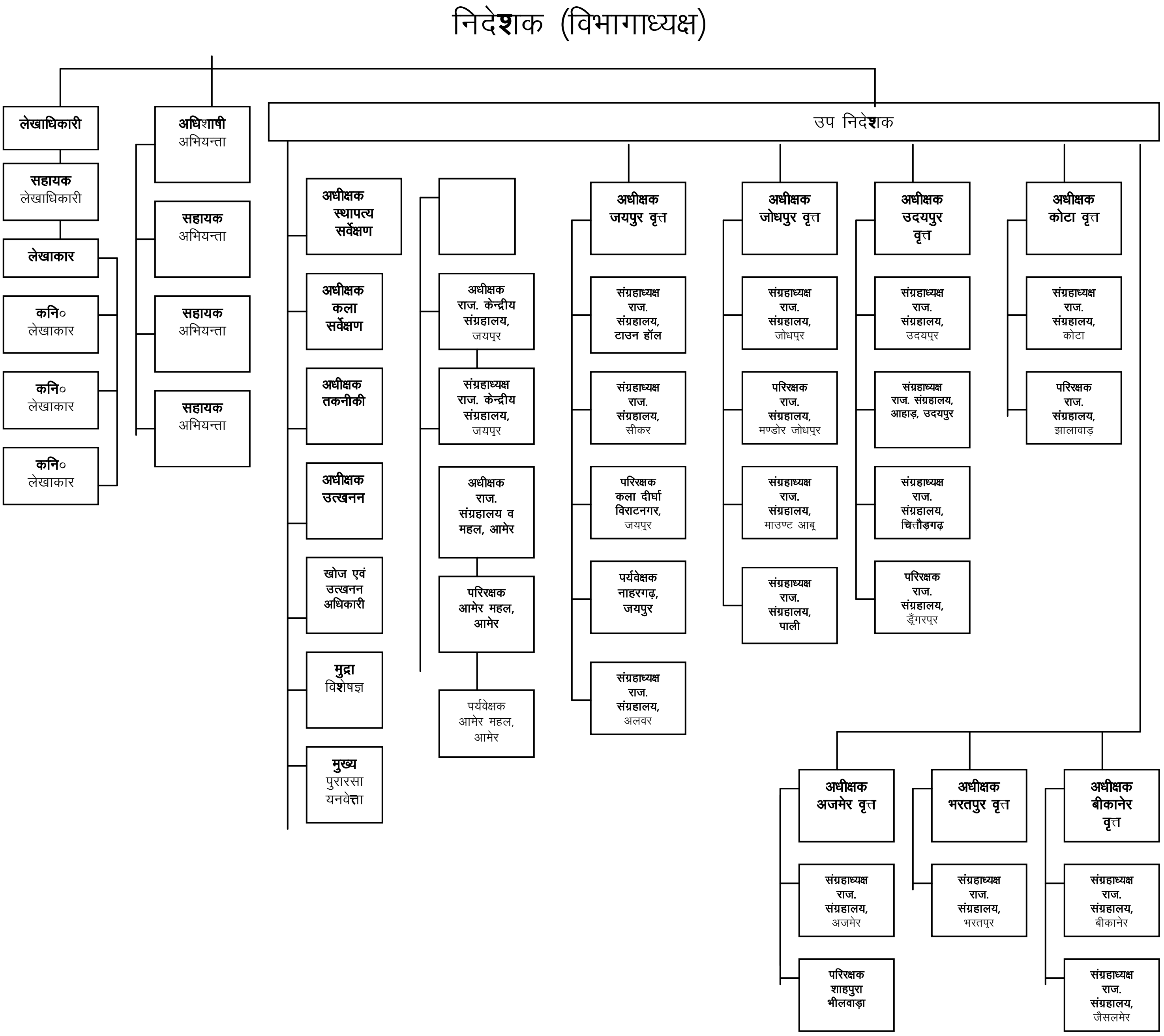

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ASSISTANT STATE INFORMATION OFFICER

1.	**Sh. Niranjan Kumar Purohit**	**Curator, Govt. Museum, Jaisalmer**	**Phnoe: 02992 252392 (pp) 9413930875 (M)**
1.	**Sh. Babulal Mourya**	**Curator, Govt. Museum, Alwar**	**Phnoe: 0144 2337565 (pp) 94114826354 (M)**
1.	**Sh. Sohal Lal Choudhary**	**Curator, Govt. Museum, Chittorgarh**	**Phnoe: 01472 244192 (0)**
1.	**Sh. Sayyad Aajam Husain Superintendent**	**Curator, Govt. Museum, Pali**	**Phnoe: 02932 223577 (pp) 0145 2003777(R)**
1.	**Sh. Umrov Singh Superintendent**	**Curator, Govt. Museum, Bharatpur**	**Phnoe: (pp) (M)**
NODAL OFFICER			
1.	**Sh. Jodha Ram Babar**	**Deputy Director**	**Phnoe: 0141- 5190406 (O) (M)**

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

H:\RTI\Citizen Ch

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

foHkkx dk iz'kklfud Lo:i

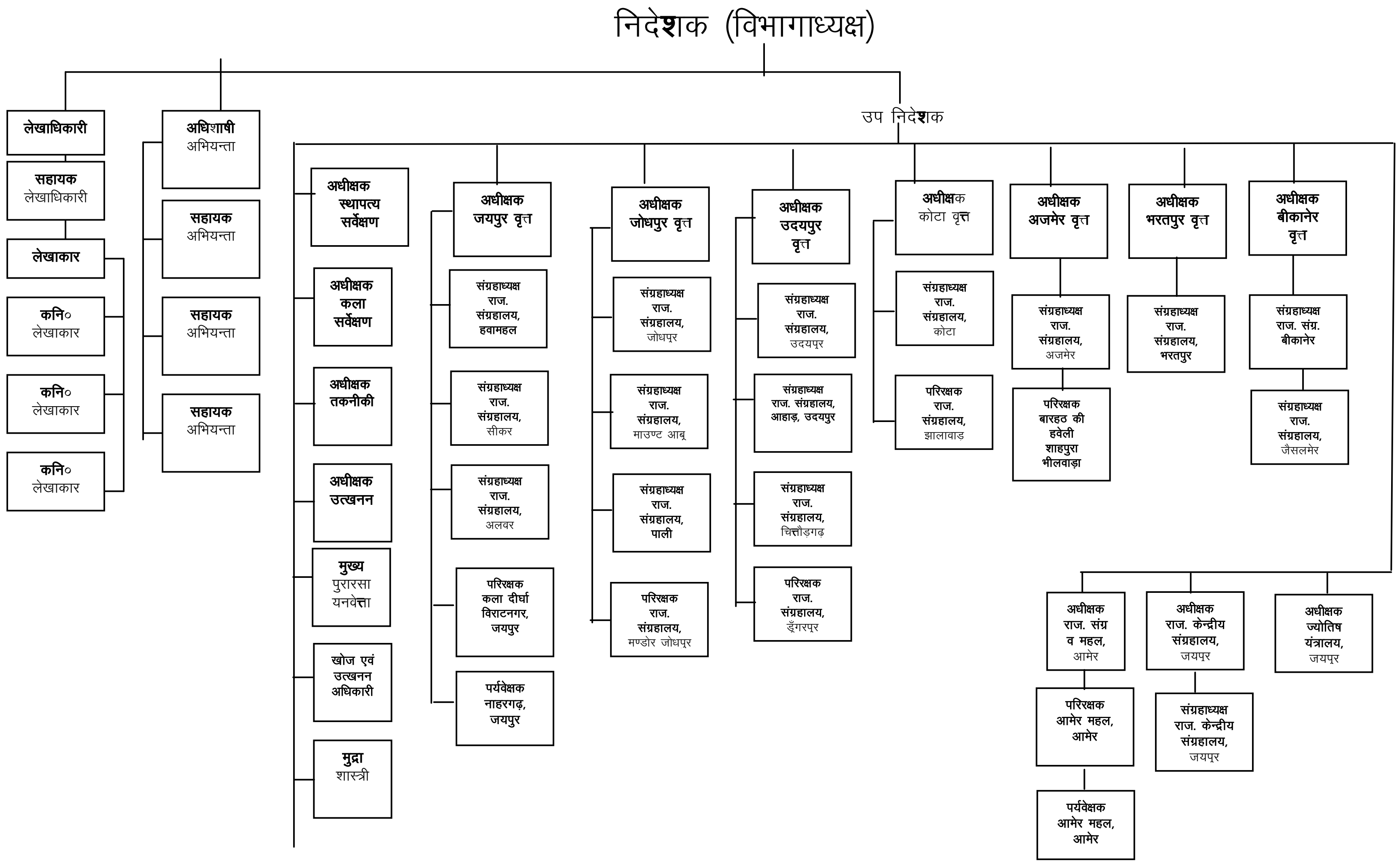

H:\RTI\Cit

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA